तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म के में जा
10.4.15	वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वकील वादी प्रा०पत्र दि० 19.11.12 को स्वीकार किए जाने पर सहमत है। अतः यह प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी / प्रतिवादी नं० 3,4,5 को पुनः जवाब दावा पेश करने की अनुमति दी जाती है। वास्ते जवाब दावा पत्रावली दि० 15-5-2015 को पेश हो।	
15.5.15	पत्रावली पेश हुई / ~~वकील वादी~~ / वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है / का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि० 26.6.15 को पेश हो। रीडर	3290-97 / 1.8.0-15
26.6.15 रामलाल छीतरलाल रामदीलाल हरकेश। गिर्राजप्रसाद	पत्रावली आज लोक अदालत शिविर तलावड़ा पर पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादी नं० 1,3,5 उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि उनके मध्य राजीनामा हो गया है। पक्षकारान दावा व T.I. प्रा०पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः वादीगण को दावा व T.I. प्रा०पत्र वापिस लेने की अनुमति दी जावे। प्रस्तुत राजीनामे पर पक्षकारों को सुना गया। राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण को यह दावा व T.I. प्रा०पत्र वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। फर्द डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सतीश कुमार शर्मा) Adv. सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

प्राप्त पत्र
सहमत
कर
वाब दावा
जवाब

290-87
9.8.15

पर
उपस्थित
किया
क्षकारान
ना

ना
दीगण
की
या
नहो

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) तलावडा

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. रामलाल पुत्र पून्या, बैरवा निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
2. रामजीलाल पुत्र पून्या, बैरवा निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
3. मु0 भूली बेवा पून्या, बैरवा निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी —वादीगण

बनाम

1. प्रभु पुत्र गंगल्या, बैरवा निवासी ढाणीं रामपुरा तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
2. निर्मला पुत्री मौसरिया पत्नि रामलाल, बैरवा नि0 कटनारी रूपवास तह0 बांदीकुई (दौसा)
3. हरकेश पुत्र बुद्धा, बैरवा निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
4. नात्ता पुत्र बुद्धा, बैरवा निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
5. मु0 कजोडी बेवा बुद्धा, बैरवा निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 63/2011

वादीगण की ओर से वादी रामलाल, रामजीलाल, मु0 भूली व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी प्रभु, हरकेश, मु0 कजोडी की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 26.6.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 26.6.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज.))

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्श के लिए स्टाम्प 4 ______रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड	